

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका बुहाना जिला झुंझुनू (राजस्थान)  
(दिनांक 11-02-2023 शनिवार)  
लोक अदालत बैच न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बुहाना

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. - 483/2022

GCMS NO- 2022/ 867

उनवान-


वीरसिंह बनाम राजस्थान सरकार

-:आदेश:-

दिनांक : 11-02-2023

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का कलाखरी के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कलाखरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 172, 312, 330, 498, 505, 519, 520 किता 7 कुल रकबा 3.64 है. में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-


क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कलाखरी	जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खसरा नम्बर 172, 312, 330, 498, 505, 519, 520 किता 7 कुल रकबा 3.64 है.	मीरसिंह पुत्र प्रभुराम	बीरसिंह पुत्र प्रभुराम

  
उपखण्ड अधिकारी  
बुहाना तहसील झुंझुनू  
दिनांक :- 11.02.2023

क्रमांक :- राजस्व/2023/115  
प्रतिलिपि :-

1. पटवारी हल्का कलाखरी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
(धर्मनूत अधिकारी)  
बुहाना तहसील झुंझुनू  
तहसीलदार बुहाना

